तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/10/2021	पत्रावली कैम्प कोर्ट नानडी में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार, पीपलू से चाही गई तकासमा रिपोर्ट प्राप्त। वकील वादी ने प्रस्तुत तकासमा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। वकील वादी की तकासमा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तकासमा रिपोर्ट से सहमत होते हुए बाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया जाकर बाद वादी अन्तिम डिक्री किया गया। निर्णय पृथक से लिखवाया गया जो शामिल है। नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner